THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) to (d) Instances have come to notice of lack of civility on the part of police and harassment to the complainants. There have been six cases of deaths in police custody during the current year. Instructions have been reiterated that the police officials should extend all courtesy to the public. They have also been enojoined to treat the accused persons in acordance with the law and to avoid third degree methods at all costs. These instructions also make the SHOs and supervisory officers accountable in the event of the death of any person in police custody.

पंजाब और जम्मू और कश्मीर में अपराध

1223. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 15 नवम्बर, 1991 तक कश्मीर घाटी और पंजाब में आगजनी, बम विस्फोट, हत्या तथा हत्या के प्रयास, डकैती और राहजनी की अलग-अलग कितनी घटनायें हुई?

(ख) उक्त अवधि के दौरान कश्मीर घाटी और पंजाब में मारे गए सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों और उनके संबंधियों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पंजाब और कश्मीर घाटी में कानून और व्यवस्था को बहाली के लिए अलग-अलग कोई योजनायें बनाई हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम०एम० जेकब) (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पंजाब में 21-6-91 से 7-11-91 तक आतंकवादी गतिविधियों के कारण 2367 हिंसक घटनायें हुई। इनमें 891 हत्यायें। गोली चलाने तथा 74 विस्फोट की घटनायें शामिल हैं। आतंकवादियों द्वारा 1054 व्यक्ति मारे गए जिसमें 207 पुलिस कार्मिक तथा पुलिस कार्मिकों के रिश्तेदार। परिवार के 89 सदस्य शामिल हैं। 1-7-91 से 15-11-91 तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 226 विस्फोट किए गए, 237 आगजनी की घटनायें की गई और निरुद्देश्य गोली चलाने की 306 घटनायें सूचित की गई। इस अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा में 152 नागरिक तथा 61 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए। पंजाब और जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए आतंकवादियों के विरुद्ध और सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त उपाय करने, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा दिये जा रहे समर्थन के विरुद्ध मजबूत जनमत तैयार करने, लोगों की वास्तविक कठिनाइयों पर ध्यान देने और उग्रवादी हिंसा से निपटने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने जैसे उपाय करने का प्रस्ताव है। आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए उपायों में सुरक्षा बलों द्वारा गश्त तेज करना, विशेष टुकड़ियों का गठन करना, संवेदनशील क्षेत्रों में छानबीन कार्य करना, आतंकवादियों/उग्रवादियों के छुपने के स्थानों, उनके आश्रय दाताओं तथा सहयोगियों पर गहन छापे मारना, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाना और आसूचनातंत्र को सक्रिय करना शामिल है और उनमें आगे सुधार करने के लिए इनकी नियमित समीक्षा की जाती है।

Detentions Under TADA

1224. SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of persons detained under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act since 1st January, 1991, Statewise; and

(b) the number of those who have been released after periodical review by the Board.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) Information regarding persons arrested under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act is given in the Statement (*See* below).